न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–47 / 2019 दायर दिनांकः 24.06.2019

GCMS NO:- 2019/00341

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. सत्यनारायण आ0 मोती जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रतनी बैवा मोती जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. छीतर आ0 रामकंवार जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. भैरू आ0 मोहन जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. कमलेश आ0 मोहन जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला, बून्दी।
6. मन्नी बैवा मोहन जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. मांगी पुत्री मोहन पत्नि गणेश जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. सम्पत् पुत्री मोहन पत्नि सत्यनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम बालापुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. सुरजमल आ0 रामधन जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. कमलेश आ0 रामधन जाति धाकड निवासी बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. दाखा बैवा रामधन जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. किशनगोपाल आ0 रामरतन जाति धाकड निवासी पलाई तहसील उनियारा ।
2. बद्री आ0 रामरतन जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामजश आ0 देव्या जाति कलाल निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां ज़िला बून्दी।
4. छीतर आ0 गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 02.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी संख्या 3 के खातेदारी की खसरा संख्या 2188,2545,2560,2566,2817 कुल रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 2818,2815 के बीच में होकर [illegible] 2817 पर पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थी [illegible] यत 3 ने कांटो की बाड लगाकर रास्ते की भूमि खसरा संख्या 2798 [illegible] मिला [illegible] या है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आ[illegible] है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि [illegible] ए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रत्यार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का रास्ता बामनगांव से चारणीया नाडा के रिकार्डेड रास्ते से फटकर खसरा संख्या 2820/2996 की दक्षिणी मेड से होकर खसरा संख्या 2820 में पहुंचता है। खसरा संख्या 2820 के अडवा ही खसरा संख्या 2817 है जिसमें पहुंचता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 2815 में से रकबा 1 गठ्ठा • 7 गठ्ठा = 07 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 2818 में से रकबा 1 गठ्ठा • 7 गठ्ठा = 07 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बामनगांव में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा संख्या 2817 कुल रकबा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा संख्या 2815 में से रकबा 1 गठ्ठा • 7 गठ्ठा = 07 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 2818 में से रकबा 1 गठ्ठा • 7 गठ्ठा = 07 वर्ग गठ्ठा भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner